पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

आपराधिक विविध संख्या-22786, संख्या-2016

थाना कांड संख्या 30027, वर्ष-2014 थाना-पटना शिकायत वाद, जिला-पटना से उत्पन्न

==========

1. लाल बाबू चौधरी, पुत्र-चमारी लाल
2. राज कुमार, पुत्र-लालबाबू चौधरी,

दोनों निवासी-काली मंदिर रोड, हनुमान नगर, थाना- पत्राकर नगर, जिला-पटना

..... याचिकाकर्ताओं

बनाम

1. बिहार राज्य
2. कैलाश कुमार, पुत्र-जवाहर प्रसाद, प्रबंध निदेशक, 'कोसूट' बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, प्राइवेट लिमिटेड,चांदपुर बेला (पानी टंकी), थाना-जकनपुर, जिला- पटना

.....विपरीतदलों

==========

उपस्थितिः

याचिकाकर्ता/ओ के लिए : विजय कुमार मिश्रा, अधिवक्ता

उतरदाता/ओं के लिए : मधुरानंद झा, एपीपी

==========

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 482—संज्ञान वाले आदेश को अभिखंडित करना जिसमें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 406, 420, 379 और 323 में संज्ञान लिया गया—शिकायतकर्ता और याचिकाकर्ता नंबर 2 के बीच निवेश की कुछ शर्तों के साथ एक अपार्टमेंट के निर्माण के लिए एक साझेदारी समझौता किया गया था—याचिकाकर्ता नंबर 1 शिकायतकर्ता का बिजनेस पार्टनर नहीं था—क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से परे की गई घटनाओं से संबंधित आरोप—विद्वान क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचने के दौरान कोई कारण नहीं बताया गया था कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है—लालनकुमार सिंह के मामले में निर्धारित सिद्धांतों का पालन करते हुए, याचिकाकर्ताओं के लिए सभी परिणामी कार्यवाही के साथ संज्ञान आदेश को अपास्त और अभिखंडित कर दिया गया—क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट को एक नया तर्कपूर्ण आदेश पारित करने के निर्देश के साथ आवेदन अनुज्ञात किया गया।

(पैरा 4, 10 से 12)

*2022 लाइव लॉ (एस.सी.) 833—**निर्भर किया गया***

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

कोरम:माननीय न्यायमूर्ति श्री चंद्र शेखर झा

मौखिक निर्णय

तारीख : 30-04-2024

याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील और राज्य की ओर से पेश हुए विद्वान एपीपी को सुना।

2. वर्तमान आवेदन याचिकाकर्ताओं द्वारा शिकायत मामले संख्या-30027/2014 के संबंध में विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी, पटना द्वारा पारित दिनांक 07.11.2015 के आदेश को रद्द करने के लिए दायर किया गया है, जिसके तहत विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 406,420,379 और 323 (संक्षेप में 'भा.दं.सं') के तहत दंडनीय अपराधों के लिए संज्ञान लिया है और उन्हें मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया।

3. शिकायत के अनुसार, संक्षेप में अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि शिकायतकर्ता और याचिकाकर्ता संख्या 2 के बीच एक अपार्टमेंट के निर्माण के लिए कुछ निवेश की शर्तों के साथ साझेदारी समझौता किया गया था। समझौते की शर्त के अनुसार, याचिकाकर्ताओं ने अपने हिस्से का निवेश नहीं किया है, लेकिन कार्य प्रभार उन्हें सौंप दिया गया था क्योंकि वे पास के स्थान के निवासी थे। शिकायत में आगे यह आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ताओं ने फैल्ट धारकों से ए/सी प्राप्तकर्ता चेक और नकद के माध्यम से राशि ली है, लेकिन उन्होंने निर्माण कंपनी को जमा नहीं किया है। यह आगे आरोप लगाया जाता है कि 30.11.2014 पर लगभग 7:30 अपराह्ण, याचिकाकर्ता पटना में मुख्य कार्यालय में आए और शिकायतकर्ता पर हमला करने के बाद एक अंगूठी और 10,500/- रुपये की नकदी ले गए। यह आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ताओं का इरादा शिकायतकर्ता को धोखा देने का था।

4. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया याचिकाकर्ता संख्या 1 इस मामले में केवल याचिकाकर्ता संख्या 2 का पिता होने के कारण फंसा है, जो दिनांक 05.08.2010 के साझेदारी विलेख के संदर्भ में शिकायतकर्ता का भागीदार है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त साझेदारी विलेख में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि याचिकाकर्ता संख्या 1 शिकायतकर्ता का व्यावसायिक भागीदार नहीं था, लेकिन शिकायत याचिका में गलत दावा करके कि याचिकाकर्ता संख्या 1 विपक्षी संख्या 2 का भी भागीदार है, वर्तमान गलत निहितार्थ उठाया गया था। विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि घटना से संबंधित पूरा आरोप, जो झारखंड में किया गया प्रतीत होता है, आथार्त इस न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से परे और केवल क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र को आमंत्रित करने के लिए हमला करने और नकदी छीनने का झूठा आरोप पटना कार्यालय में दिखाया गया था। यह भी बताया गया है कि संज्ञान आदेश, जो इस याचिका का विवादित आदेश है, कानून की नजर में गलत है, क्योंकि यह बिना किसी कारण के है और इस आधार पर ही इसे दरकिनार किया जा सकता है।

5. तर्क का समापन करते हुए, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने **ललनकुमार सिंह एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य [2022 लाइवलॉ (एससी) 833]** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई कानूनी रिपोर्ट पर भरोसा किया।

6. विपरीत पक्ष संख्या 2 को वैध सूचना तामील के बावजूद, वह वर्तमान कार्यवाही में शामिल होने में विफल रहे।

7. आवेदन का विरोध करते हुए राज्य के लिए ज्ञात एपीपी ने प्रस्तुत किया कि विस्तृत आदेश की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ *प्रथम दृष्टया* मामला बनाने के लिए निर्धारित कारण पर्याप्त है।

8. सी. आर. एल. में पारित किए गए दिनांकित 07.11.2015 के आक्षेपित आदेश को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा, जो संज्ञान आदेश है। यह निम्नानुसार है:-

"30027 ((ग) 2014

टि.आर. 1871/15

07-11-15

शिकायतकर्ता हजारी दायर करता है। शिकायतकर्ता के अधिवक्ता को सुना। मामले के अभिलेख का अवलोकन किया गया। यह मामला सीजेएम पटना की अदालत से धारा-192 आ.दं.सं. के तहत जांच और मुकदमे के लिए 13/03/15 पर प्राप्त हुआ है। शिकायतकर्ता **कैलाश कुमार** ने **एस. ए.** पर जाँच की गई और दो गवाहों से भी जाँच की गई है जिनके नाम हैं। **1. सुबोध आजाद @ चुनू सिंह और 2. विश्वजीत कुमार** शिकायत याचिका पर स्वीकार किया गया।

एस. ए. पर शिकायतकर्ता के बयान, जांच गवाहों और पर्याप्त दस्तावेजों का अवलोकन किया। मुझे लगता है कि सम्मन जारी करने के लिए अभिलेख पर पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है क्योंकि **प्रथम दृष्टया** शिकायत याचिका में आरोपी व्यक्ति **लाल बाबू चौधरी और राज कुमार** के खिलाफ धारा **406, 420, 379, 323 भा.दं.सं** के तहत मामला बनता है।

शिकायतकर्ता को पंद्रह दिनों के भीतर आवश्यक अपेक्षित दस्तावेज दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है। कायार्लय लिपिक को समन जारी करने का निर्देश दिया जाता है।

21-1115 को उपस्थिति हेतु नियत तिथि किया जा रहा है।

एस.डी./-
जे.एम. प्रथम श्रेणी
पटना
07.11.15"

9. माननीय उच्चतम न्यायालय की कानूनी रिपोर्ट के पैरा-28 को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा। **ललकुमार सिंह मामला (ऊपर)**, जो इस रूप में चलता है इसके अंतर्गतः-

"28. प्रक्रिया जारी करने का आदेश एक खाली औपचारिकता नहीं है। मजिस्ट्रेट को इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि मामले में कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार मौजूद है या नहीं। इस तरह की राय बनाने के बारे में आदेश में ही बताया जाना आवश्यक है। यदि इस निष्कर्ष पर पहुँचते समय कोई कारण नहीं दिया जाता है कि अभियुक्त के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है, तो आदेश को रद्द किया जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आदेश में विस्तृत कारण शामिल करने की आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में **सुनील भारती मित्तल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो [(2015) 4 एससीसी 609]** के मामले में इस न्यायालय के फैसले का संदर्भ दिया जा सकता है, जो इस प्रकार है:

> "51. दूसरी ओर, संहिता की धारा 204 प्रक्रिया के मुद्दे से संबंधित है, यदि दंडाधिकारी की राय में किसी अपराध का संज्ञान लेते हुए, कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है। यह धारा आपराधिक कार्यवाही शुरू करने से संबंधित है। यदि दंडाधिकारी किसी मामले का संज्ञान लेते हुए (वह शिकायत प्राप्त करने वाला दंडाधिकारी हो सकता है या जिसे धारा 192 के तहत इसे हस्तांतरित किया गया है), अपने सामने की सामग्री पर विचार करने पर (शिकायत, शिकायतकर्ता और उसके गवाहों की जांच, यदि मौजूद हो, या जांच की रिपोर्ट, यदि कोई हो), पर विचार करने के बाद, सोचता है कि किसी अपराध के संबंध में कार्यवाही के लिए प्रथम दृष्टया मामला है, तो वह आरोपी के खिलाफ प्रक्रिया जारी करेगा।
>
> 52. प्रक्रिया जारी करने या न करने के बारे में व्यापक विवेक दिया गया है और इसका न्यायिक रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए। किसी व्यक्ति को केवल इसलिए

> अदालत में नहीं घसीटा जाना चाहिए क्योंकि उसने शिकायत दर्ज की है। यदि प्रथम दृष्टया मामला बनता है, तो दंडाधिकार को प्रक्रिया जारी करनी चाहिए और इसे केवल इसलिए अस्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि उसे लगता है कि इससे दोषसिद्धि होने की संभावना नहीं है।
>
> 53. हालाँकि, धारा 204 में दिखाई देने वाले "कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार" शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ये वे शब्द है जो पर्याप्त रूप से सुझाव देते हैं कि एक राय केवल इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाई जानी चाहिए कि उक्त अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है और इस तरह की राय का गठन आदेश में ही कहा जाना चाहिए। यदि इस निष्कर्ष पर पहुँचते समय कोई कारण नहीं दिया जाता है कि अभियुक्त के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला है, तो आदेश को रद्द कर दिया जा सकता है, हालांकि आदेश में विस्तृत कारणों की आवश्यकता नहीं है। दुर्भाग्य से, यदि दिया गया कारण प्रत्यक्ष रूप से गलत साबित होता है तो आदेश कानूनी रूप से गलत होगा।"

10.उपरोक्त तथ्यात्मक और कानूनी प्रस्तुतियों के मद्देनजर और आरोपित आदेश का अध्ययन करने पर, ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान क्षेत्राधिकार दंडाधिकार द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचने के दौरान कोई कारण नहीं बताया गया कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ भा. दं. सं की धारा 406, 420, 379 और 323 के तहत दंडनीय एक **"प्रथम दृष्टया"** मामला बनता है। इस प्रकार, लालनकुमार सिंह और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य (ऊपर) के मामले में तय किए गए अनुपात का मार्गदर्शन करते हुए, शिकायत मामला संख्या 30027 (सी) 2014 के संबंध में विद्वान न्यायिक दंडाधिकार-प्रथम श्रेणी, पटना द्वारा दिनांक 07.11.2015 को

पारित संज्ञान लेने वाले आरोपित आदेश को याचिकाकर्ताओं के संबंध में सभी परिणामी कार्यवाहियों के साथ रद्द और अलग कर दिया जाता है।

11. आवेदन की अनुमति है।

12. हालाँकि, विद्वान न्यायिक दंडाधिकार को कानून के अनुसार एक नया तर्कपूर्ण आदेश पारित करने का निर्देश दिया जाता है, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है।

13. निर्णय की एक प्रति विद्वत विचारण न्यायालय को तुरंत प्रेषित की जाए।

(चंद्र शेखर झा, न्यायामूर्ति)

संजीत/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।